न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार II, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या: 353 / 2016
निर्णय दिनांक : 15.07.2024

उनवान

1. अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल फागी जरिये अध्यक्ष डॉ० बारबरा कंगन रामपुरा रेल्वे तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रार्थी

बनाम

1. डॉ० प्रहलाद रघु पुत्र स्व छोटूराम जाति रैगर निवासी ग्राम–ठिकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. मदन पुत्र सुरजकरण जाति जोगी निवासी फागी तहसील फागी
3. तहसीलदार महोदय तहसील फागी
4. उपपंजीयक / उपतहसीलदार महोदय माधोराजपुरा, तहसील फागी

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:— श्री विनोद कुमार जैन वकील प्रार्थी
श्री भोजराज सिंह राजावत वकील अप्रार्थी सं0 1
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:— 15.07.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 162, 163, 164 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा की भूमि वाके ग्राम रामपुरा रेल्वे तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसकें प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से अपनें अपने हिस्सें पर काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्सें पर प्रार्थी काबिज काश्त है एवं अपनें हिस्सें के साथ शामलात में काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नही हो रखा है, उक्त भूमि को आगै के पैराज में विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के भाई से क्रय की है तथा क्रय करनें के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी यह कि विवादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा नही हो रखा है और यदि अप्रार्थीगण बिना तकासमा कराये ही उसके हिस्से पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपुर्ती नही हो सकेगी जिससे भी प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह वाद विभाजन एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश करें। अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त भूमि पर जंहा पूर्व खातेदार काविज काश्त था, वहा काबिज न होकर प्रार्थी जो अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्सें के साथ संयुक्त रूप से काबिज है पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है। तथा आयेदिन भूमि का विधिवत तकासमा नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के हिस्से पर जंहा वह काविज है तथा उसनें अपने हिस्सें को काफी विकसित कर दिया है पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

संख्या 1 जिसनें भूमि इसी आशय से [illegible] है कि वह प्रार्थी को हैरान परेशान कर सके तथा उक्त भूमि पर जंहा प्रार्थी काबिज है पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को उसके हिस्सें को विकसित कर उसकें कारोबार के [illegible] के काम में नहीं ले सके इसी आशय से अप्रार्थी संख्या 1 अपनें कुछ साथियों के साथ अभी दिनांक 15.4.16 को विवादित भूमि पर आया और जंहा प्रार्थी काबिज है तथा जिसमें भूमि काफी विकसित कर ली है पर जबरन कब्जा करनें पर उतारू हो गया जिस पर प्रार्थी व उसकी संस्थान के कर्मचारियों ने अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त कृत्य का विरोध किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी से कहा कि भूमि का विधिवत तकासमा नही हो रखा है, उसका हर इंच पर कब्जा है वह जबरन कब्जा जंहा चाहेगा करके ही रहेगा। अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त कृत्य पर प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह भूमि का विधिवत तकासमा करावें, जिस हेतू वाद तकासमा पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थी अपने हिस्से जिसको काफी विकसित कर लिया तथा जंहा पर काबिज काश्त है से से वंचित हो जायेगा और उसे असहनीय हानि होगी जिसके लिये प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हुआ कि वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत् तकासमा पेश करें। अप्रार्थी संख्या 2 ने उसकें हिस्सें को जरिये इकरारनामा प्रार्थी को विक्रय कर भूमि का कब्जा काश्त प्रार्थी का करा दिया गया है जिस पर प्रार्थी काबिज है लेकिन उसमें अप्रार्थी संख्या 2 आनाकानी करने लगा है जिस पर प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध अलग से कार्यवाही कर रखी है। विवादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा नही हो रखा है और यदि अप्रार्थीगण बिना तकासमा कराये ही उसके हिस्से पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपुर्ती नहीं हो सकेगी जिससे भी प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह वाद विभाजन एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश करें। प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गयी। अप्रार्थी सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री भोजराज सिंह राजावत उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन मे बताया की वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी सं0 2 का सम्पूर्ण हिस्सा मिन उत्तरदाता ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 07.03.2008 को कय कर कब्जा उत्तरदाता का चला आया है उक्त विकय पत्र आज तक प्रभावी है एवं मुताबिक विकय पत्र उतरदाता अप्रार्थी सं0 2 के हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र दुरभावना से पेश किया है तथा तथ्य छिपाते हुये न्यायालय को गुमराह कर धोखा देने का प्रयास किया है प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही किया है जो खारीज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

(3)

अप्रार्थी सं0 2,3,4 को काफी अवसर दिये जाने के बाबजूद भी जबाब पेश नही किया। अप्रार्थी सं0 2, 3, 4 का जबाब बन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपने जबाब के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण मुख्यतः 3 बिन्दुओं पर किया जाना है।

1. प्रथम दृष्टया केस
2. अपूर्णीय क्षति
3. सुविधा का सन्तुलन

1. **प्रथम दृष्टया केसः–** पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी ने वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम रामपुरा रेल्वे की उक्त वाद ग्रस्त आराजी मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं0 1 ने भी अपने जबाब मे भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित हो। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे बखुबी साबित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :– उक्त विवादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है। रा0टी0 एक्ट की धारा 212 के सार 7 मे सुविधा के सन्तुलन की व्याख्या की गई है कि निषेधाज्ञा देने मे अदालत को सुविधा के सन्तुलन को देखना चाहिए यह दिखाने का दायित्व वादी पर है "कि यदि निषेधाज्ञा नही दी गई तो उसकी असुविधा प्रतिवादी को होने वाली असुविधा से अधिक होगी।" उक्त मूल वाद तकासमा का होने के कारण विवादग्रस्त आराजी मे रिकार्डेड खातेदार को स्थगन से पाबन्द नही किये जाने पर प्रार्थी को काफी असुविधाओं का सामना करना पड सकता है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे बखुबी साबित है।

3. **अपूर्णीय क्षतिः–** संलग्न मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है। वाद बटॅवारे का होने के कारण अगर खातेदारान को स्थगन आदेश से पाबन्द नही किया जाता है और उक्त आराजी अन्य दीगर व्यक्ति को खुर्द

लगातार...............4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

— बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भंव प्रतीत नही होता है। अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल साबित होती है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 162, 163, 164 कुल किता 03 कुल रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रामपुरा रेल्वे तहसील फागी जिला दूदू में स्थित आराजीयात की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/7/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू